



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शनिवार, 18 सितम्बर, 2010/27 भाद्रपद, 1932

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2010

**संख्या गृह (ए)ए(1)2/2001.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित ग्रामों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तरित करती है; अर्थात् :—

## निर्वाचन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171009, 17 सितम्बर, 2010

**संख्या 5-15/2010-ईएलएन.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-26/94-ईएलएन., तारीख 1-2-2000 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग.प (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध—“क” का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध—“क” में ;—

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15600-39100/-रूपए जमा 6600/-रूपए ग्रेड पे”

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
सचिव (निर्वाचन)।

*[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-15/2010-ELN, dated 17-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## ELECTION DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-171009, 17th September, 2010

**No. 5-15/2010-ELN.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2000, notified vide Notification No. 5-26/94-ELN, dated 1-2-2000, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (4th Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2000;-

For the existing provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely:-

**“Rs. 15600-39100 Plus 6600/- Grade Pay”**

By order,  
Sd/-  
Secretary (Elections).

No.SML-DEV. (Notary Public)/2005-  
Office of the Deputy Commissioner,  
Shimla, Distt. Shimla H.P.

Dated: Shimla-1 the th *Sept*, 2010.

**NOTIFICATION**

Whereas sh. Rakesh Kumar Raghuvanshi and Sh.Monharal Advocates have submitted their applications for appointment as a Notary Public under Rule 4 of the Notaries Rules, 1956 in Shimla District.

Therefore, I the undersigned in exercise of the powers vested in me vide Government of H.P. Notification No.LLR-107-323/56-II dated 27.9.77, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rule 1956 for the information of all concerned for inviting objections if any, within fourteen days from the date of publication of this notification regarding appointment of the above mentioned Advocates as a Notary Public in Shimla District.

+

Endst: No.As Above. 689

*Sd-*  
District Magistrate, Shimla.  
Dated. 17.09.2010



This is a digitally signed Gazette, to verify click [here](#).

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार 23 अगस्त, 2012/1 भाद्रपद, 1934

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 अगस्त, 2012

**संख्या: 5-15/2010-ईएलएन.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 5-26/94-ईएलएन., तारीख 1 फरवरी, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश से,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (निर्वाचन)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. पदों की संख्या.—01 (एक)।
3. वर्गीकरण.—वर्ग-I, (राजपत्रित)  
(अलिपिक वर्गीय सेवाएं)।
4. वेतनमान.—पे बैंड: 15600-39100/- रुपए जमा 6600/- रुपए ग्रेड पे।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.—लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं।  
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—निर्वाचन अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निर्वाचन अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार

(निर्वाचन)/अनुभाग अधिकारी के रूप में दोनो का संयुक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी इनमें से कम हो, होगी:

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबलाईज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसी तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचना.**—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

**14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—लागू नहीं।

**15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—लागू नहीं।

**16. आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[*Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-15/2010-ELN, dated 22-08-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

## ELECTION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171009, the 22<sup>nd</sup> August, 2012*

**No. 5-15/2010-ELN.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Chief Electoral Officer, Class-I, Gazetted (Non-Ministerial Services), in the Election Department, Himachal Pradesh as per **Annexure-“A”** attached to this notification, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I, Gazetted (Non-Ministerial Services), Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2000 notified *vide* this department's notification No. 5-26/94-ELN, dated 1st February, 2000 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken the under rules so repealed under Sub-rule 2(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary (Election).*

## ANNEXURE-“A”

### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CHIEF ELECTORAL OFFICER, CLASS-I, (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF ELECTION, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**—Assistant Chief Electoral Officer.
2. **Number of posts.**—01 (one).
3. **Classification.**—Class-I, (Gazetted).  
(Non-Ministerial Services)

4. **Scale of pay.**—Pay Band: Rs.15600-39100/- plus 6600/- Grade Pay.
5. **Whether selection post or non-selection post.**—Selection.
6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable.
7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.**—Not applicable.
8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?**—Age : Not applicable.  
Educational Qualification : Not applicable.
9. **Period of probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. **Method of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.**—100 % by promotion.
11. **In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.**—By promotion from amongst the Electoral Officers having 2 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from Electoral Officers having 5 years regular service or regular combined with adhoc service rendered as Electoral Officer and Tehsildar (Election)/Section Officer both combined.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, Provided that;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation



of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—**As may be constituted by the Government from time to time.

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—**As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**Not applicable.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—**Not applicable.

**16. Reservation.—**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.—**Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

**18. Power to relax.—**Where the state Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or post(s).

### आबकारी एवं कराधान विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-171002, 23 अगस्त, 2012

**संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(1)-4/2011.—**हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई. एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005, तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (छटा संशोधन) नियम, 2012 है।